



OPJS UNIVERSITY CHURU

RAJASTHAN (INDIA)

Approved by : (UGC under section 2(F) of the UGC Act 1956)
(HRD, BCI, PCI, NCTE, COA, RCI, NCC, AICTE, VENTEL, ITPI)

Ph. 07726009702, 03 Website : www.opjsuniversity.edu.in

कार्यालय आदेश

ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय,
चुरु (राजस्थान)

दिनांक : 13 अगस्त 2025

विषय : छात्र प्रमाण-पत्र, डिग्री, मार्कशीट व माइग्रेशन जारी करने की प्रक्रिया एवं शुल्क निर्धारण संबंधी आदेश।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि छात्रों को निम्न अनुसार प्रमाण-पत्र, डिग्री एवं मार्कशीट उपलब्ध करवाई जाएगी :

1. कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन छात्र को उसी दिन प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे।
➤ निर्धारित शुल्क – 3500 रु. (तीन हजार पाँच सौ रुपये मात्र)।
2. डिग्री प्रमाण-पत्र उपरोक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् यदि छात्र डिग्री हेतु आवेदन करना चाहता है, तो निर्धारित शुल्क – 10,000 रु. (दस हजार रुपये मात्र)।
➤ डिग्री जारी करने की समयावधि : 45 दिन
3. मार्कशीट सुधार की नवीन प्रिंटिंग हेतु (नाम, जन्मतिथि आदि से सम्बन्धित)
➤ जिन छात्रों की मार्कशीट गलत प्रिंट हुई है, उनकी मार्कशीट सुधार का निर्धारित शुल्क – 2000 रु. (दो हजार रुपये मात्र)
➤ मार्कशीट जारी करने की समयावधि : 15 दिन
4. पी.एच.डी.
➤ विद्यार्थियों हेतु प्रोविजनल डिग्री का निर्धारित शुल्क – 10,000 रु. (दस हजार रुपये मात्र)
➤ पी.एच.डी. ऑरिजिनल डिग्री का निर्धारित शुल्क – 25000 (पच्चीस हजार रुपये मात्र)
➤ डिग्री जारी करने की समयावधि : 45 दिन

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा



ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चुरु (राजस्थान)